दूरभाष :05852–234892

महाराणा प्रताप
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हरदोई (उ0प्र0)

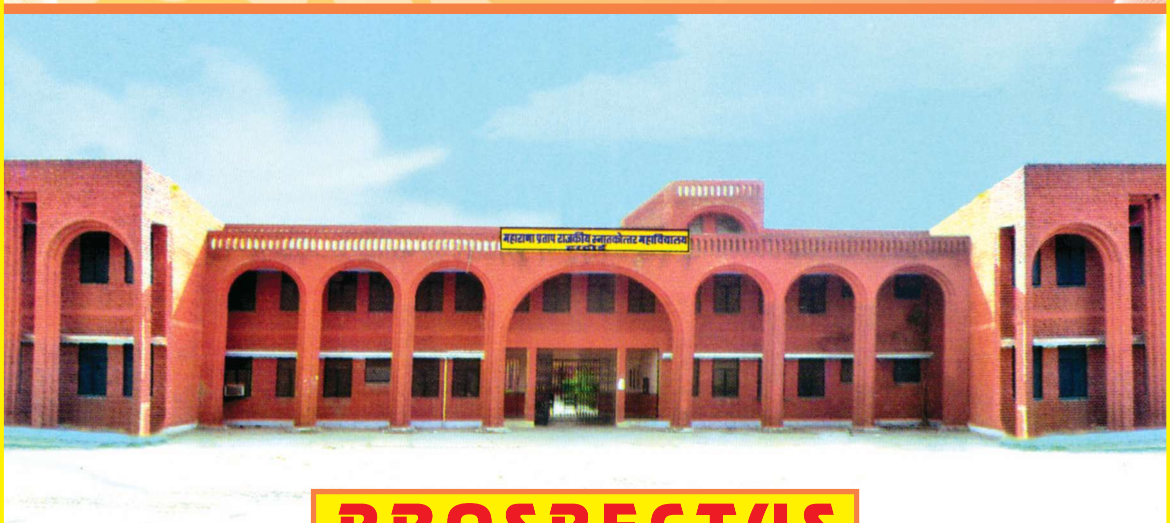

PROSPECTUS

विवरणिका

एवं

प्रवेश आवेदन-पत्र

मूल्य : 100/– रूपये

दूरभाष :05852—234892

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हरदोई उ0प्र0)

नैक मूल्यांकित – 'बी ग्रेड'

सम्बद्ध : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Website:www.mpgpgcollegehardoi.in

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन–पत्र

मूल्य : 100/– रूपये

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई।

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई नगर में सीतापुर बाईपास रोड पर ओम नगर के निकट स्थित है। उ0प्र0 शासन द्वारा पिछड़े एवं असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार की नीति के अन्तर्गत स्थानीय जनता की माँग पर तथा जन प्रतिनिधियों के प्रयासों से शासनादेश संख्या 5345/19–79(11)(2)(3)/79 दिनांकः 06 नवम्बर 1979 द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की स्थापना की गयी। राजकीय महाविद्यालय, हरदोई का उद्घाटन माननीय श्री अशोक बाजपेयी, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में माननीय श्री बनारसी दास, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रारम्भ में नगर के मध्य में केन सोसाइटी के खाली पड़े भवन में शैक्षिक सत्र 1979–80 में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। कालान्तर में महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया और वर्ष 1997 में महाविद्यालय एक विशाल परिसर में वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया।

निरन्तर विकास के क्रम में तथा समाज के साधन विहीन मेधावी छात्र/छात्राओं के भविष्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 शासन ने वर्ष 1995 से वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम0कॉम की कक्षाएं संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इसी क्रम में विज्ञान संकाय में भी स्नातकोत्तर कक्षाएं समस्त उपलब्ध विषयों यथा गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान में संचालित करने की स्वीकृत उ0प्र0 शासन से वर्ष 1998 में प्राप्त हो गयी। पुनः महाविद्यालय के विकास के क्रम में वर्ष 2007–2008 में बी0एड0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति उ0प्र0 शासन से प्राप्त हुई।

वर्तमान में महाविद्यालय नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, अध्ययन कक्षों, प्राध्यापक कक्षों, छात्र एवं छात्राओं हेतु वाचनालयों, क्रीड़ा कक्षों, पुस्तकालय तथा प्रशासकीय खंड के साथ उपलब्ध है। बी0एड0 कक्षाओं हेतु नवीन भवन एवं एक आडिटोरियम हॉल भी उपलब्ध हैं। विशाल भवन के साथ–साथ महाविद्यालय में पूर्ण विकसित क्रीड़ांगन, साईकिल स्टैण्ड तथा कैन्टीन भी उपलब्ध हैं। महाविद्यालय परिसर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है तथा शैक्षिक गतिविधियों हेतु एक सुरम्य स्थल हैं।

प्रगति के उत्तरोत्तर क्रम में महाविद्यालय के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) बैंगलोर द्वारा आए हुए दल ने अक्टूबर 2010 में महाविद्यालय का तीन दिवसीय निरीक्षण किया। प्रवास के दौरान निरीक्षण दल ने महाविद्यालय में विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं यथा भवन, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्षों, कार्यालय, पुस्तकालय क्रीड़ा सम्बन्धी सुविधाओं तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला आदि का अवलोकन किया साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों से व्यापक विचार–विमर्श किया निरीक्षण के उपरान्त नैक द्वारा महाविद्यालय को 'बी' श्रेणी के साथ मूल्यांकित घोषित करते हुए प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

विज्ञान संकाय

स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन0ई0पी0) के अन्तर्गत 03 वर्षीय (6 सेमेस्टर)/04 वर्षीय (08 सेमेस्टर), बी0एस–सी0 (गणित एवं जीव विज्ञान) पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित है। निम्नलिखित विषय वर्गों में से किसी एक विषय वर्ग का चयन किया जा सकता है। बी0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर किये जायेंगे।

बी0एस–सी0 गणित वर्ग

1 भौतिक विज्ञान 2 रसायन विज्ञान 3 गणित

कुल सीटों की संख्याः– 180

प्रवेश योग्यता–

इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग पर आधारित है।

बी0एस–सी0 जीव विज्ञान वर्ग

1 जन्तु विज्ञान 2 वनस्पति विज्ञान 3 रसायन विज्ञान

कुल सीटों की संख्याः– 180

प्रवेश योग्यता–

इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग पर आधारित है।

एम0एस–सी0–

महाविद्यालय में एम0 एससी0 पाठ्यक्रम द्विवर्षीय (04 सेमेस्टर) 05 विषयों में संचालित है। इन सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) अथवा प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे। परास्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में एम0एस–सी0 पाठ्यक्रम संचालित हैं–

क्र0	विषय	कुल सीटों की संख्या
1	गणित	30
2	भौतिक विज्ञान	15
3	रसायन विज्ञान	20
4	वनस्पति विज्ञान	15
5	जन्तु विज्ञान	15

प्रवेश योग्यता–

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से अन्तिम वर्ष में सम्बन्धित विषय के साथ बी0एस–सी0 त्रिवर्षीय स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 43 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

वाणिज्य संकाय

बी0कॉम0– कुल सीटों की संख्या–180

वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 एवं एम0कॉम0 की कक्षायें संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत 03 वर्षीय (6 सेमेस्टर)/04 वर्षीय (08 सेमेस्टर), बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश प्रदान किया जायेगा। बी0काम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर किये जायेंगे।

प्रवेश योग्यता–

वाणिज्य में इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अथवा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है। बी0कॉम0 चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के नियमानुसार किया जायेगा।

एम0कॉम0– कुल सीटों की संख्या–60

महाविद्यालय में एम0कॉम0 पाठ्यक्रम द्विवर्षीय (04 सेमेस्टर) संचालित है। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे।

प्रवेश योग्यता–

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से वाणिज्य में त्रिवर्षीय स्नातक (बी0कॉम0/बी0कॉम0 ऑनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

शिक्षा संकाय–बी0एड0

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2056/सत्तर–5/2005,उच्च शिक्षा अनुभाग–5, अगस्त 2005 के तारतम्य में पत्रांक सं0 646 ए/सत्तर–5–2006–41(1)/2007 उच्च शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 24 नवम्बर, 2009 द्वारा महाविद्यालय में बी0एड0 की 100 सीटों की मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में बी0एड0 में प्रवेश उ0प्र0 राज्य बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है।

शोध निर्देशन/पी0एच–डी0

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा महाविद्यालय के विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं शिक्षा संकाय के प्राध्यापकों को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। शोधार्थी विद्वान प्राध्यापकों के निर्देशन में पंजीकरण कराकर शोध कार्य पूर्ण कर पी0एचडी0 की उपाधि से समलंकृत हो सकते हैं।

प्रवेश आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देश :–

बी0एस–सी0 तथा बी0 कॉम0/एम0एस–सी तथा एम0काम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी आवेदन–पत्र ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम (www.mpgpgcollegehardoi.in or gdchardoi.mycms.in) से भर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी/दिशा–निर्देश वेबसाइट के (Instructions Tab) में दी गयी है।

काउन्सलिंग के समय आवेदन–पत्र के प्रिन्टआउट के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा–

(अ) स्नातक स्तरः– (UG Level)

1. लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण द्वारा प्राप्त LURN की प्रति।
2. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंक– पत्र।
3. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र।
4. अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्थानान्तरण/प्रवजन (माईग्रेशन) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
5. इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को संस्थागत रूप में अध्ययन की हुई कक्षा का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र या सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/विकलांग/ई0डब्ल्यू0एस0/एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र जिला/मण्डल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश में आरक्षण एवं भारण प्रदान किया जायेगा।
7. अन्तराल प्रमाण–पत्र (गैप सर्टिफिकेट)– यदि इण्टरमीडिएट (10+2) के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का (10 रूपया के स्टॉम्प पेपर पर) शपथ–पत्र प्रवेश के समय जमा करें।
8. अन्य कोई आवश्यक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

(ब) स्नातकोत्तर स्तरः–(PG Level)

1. लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण द्वारा प्राप्त LURN की प्रति।
2. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. स्नातक के समस्त सेमेस्टर/वार्षिक अंकतालिका एवं उपाधि (डिग्री) की छाया प्रति।
5. अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्थानान्तरण/माईग्रेशन प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन–यदि स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो तो) की छाया प्रति।
6. अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/विकलांग/ई0डब्ल्यू0एस0/एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र जिला/मण्डल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश में आरक्षण एवं भारण प्रदान किया जायेगा।

7. अन्तराल प्रमाण–पत्र (गैप सर्टिफिकेट)– यदि स्नातक परीक्षा/अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का (10 रूपया के स्टॉम्प पेपर पर) शपथ–पत्र प्रवेश के समय जमा करें।
8. अन्य कोई आवश्यक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ की जाती है जो शासनादेशानुसार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ली जाती है। स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित तिथि के बाद कोई प्रवेश मान्य नहीं किया जाता है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के नियम व शर्तें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 शासन/महाविद्यालय प्रवेश समिति के अधीन होंगे। अतः किसी भी परिवर्तन के लिए उ0 प्र0 शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रवेश समिति का अंतिम आदेश मान्य होगा।
3. प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा पहले आओ पहले पाओ के नियम के आधार पर काउन्सलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची से ही पूर्ण की जायेगी।
4. प्रवेश सम्बन्धी आवेदन–पत्र महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से केवल ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से (www.mpgpgcollegehardoi.in or gdchardoi.mycms.in) निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हे ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।
6. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय के विनियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।
7. जाति तथा आय प्रमाण पत्र को शासन/विभाग की वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।
8. छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरूद्व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. **आरक्षण/Reservation**
   सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे–

उर्ध्वाधर/Vertical			**क्षैतिज आरक्षण/Horizontal**	
अनुसूचित जाति	21%		विकलांगो के लिए (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	5%
अनुसूचित जनजाति	2%		स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री के लिए	2%
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)'	27%		सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों 'स्वयं' अथवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए	5%
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ई॰डब्ल्यू॰एस॰)	10%			

10. **भारण**

क्रमांक	भारांक का नाम	भारण स्तर	प्रतिशत
1	उत्कृष्ट खिलाड़ी	जिला स्तर	1
2		मण्डल स्तर	2
3		राज्य स्तर	3
4		राष्ट्रीय स्तर	5
5	एन0सी0सी0	बी0 / सी0 सर्टिफिकेट	2.5
6	एन0एस0एस0	राज्य स्तर	2.5
7	स्काउट एवं गाइड / रोवर्स– रेंजर्स	राष्ट्रीय स्तर	2.5

11. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के आवेदकों को काउन्सलिंग के समय प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई से तीन वर्ष पूर्व तक का अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. E.W.S. श्रेणी में प्रवेश प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग'' (ई॰डब्ल्यू॰एस॰) का प्रमाण पत्र एवं स्वयं घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। E.W.S. प्रमाण–पत्र प्रवेश वर्ष में 01 अप्रैल या उसके पश्चात् जारी होना चाहिये।
13. शासन अथवा उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगाः–

    (क) जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों अथवा परीक्षा में बैठने से रोक दिये गये हैं अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण रोक दिया गया है।

    (ख) जिन्होंने महाविद्यालय में बी0एस–सी0 अथवा एम0एस–सी0, बी0कॉम0 अथवा एम0कॉम0 में गत वर्ष में प्रवेश लिया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों।

    (ग) जो किसी भी आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता हो या जिन पर वर्तमान में कोई अभियोग चल रहा हो अथवा जिनका आचरण संदिग्ध हो।

    (घ) जिन्होंने निर्धारित काउन्सलिंग की तिथि को उपस्थित न हुये हों और अपने मूल प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न किया हो।

    (च) बी0एस–सी0 अथवा एम0एस–सी0 या बी0कॉम0 अथवा एम0कॉम0 के द्वितीय वर्ष की कक्षा में किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के ऐसे प्रवेशार्थियों को जिनके माता / पिता / अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 दो लाख से कम है, को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवदेन पत्र ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण–पत्र अनिवार्य होंगे–

1. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा जाति हेतु) की छाया प्रति प्रमाणित ।
2. माता / पिता / अभिभावक की वार्षिक आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा दिया गया हो की छाया प्रति।
3. अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति।

4. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
5. आधार कार्ड।

कक्षाओं में उपस्थिति

उ0प्र0 शासन एंव निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 एवं कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के आदेशानुपालन में प्रत्येक विभागों की कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र अथवा छात्रा की शासकीय सहायता (छात्रवृत्ति, मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता कोष, बुक बैंक) एवं अन्य सहायता पर रोक के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा से भी वंचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

1. **शास्ता मण्डलः**— परिचय—पत्र, एम0एस0टी0, चरित्र प्रमाण—पत्र बनाना तथा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखना।
2. **पुस्तकालय / वाचनालयः**— पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी समस्त कार्य।
3. **क्रीड़ा समितिः**— क्रीड़ा सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. **महिला प्रकोष्ठ 1090ः**— महिलाओं से सम्बन्धित शिकायत हेतु।
5. **एण्टी रैगिंग समिति**— सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
6. **कैरियर काउन्सलिंग समिति**— छात्र—छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य में सेवायोजन हेतु मार्ग दशन प्रदान करना।
7. **प्लेसमेंट सेल समिति**— महाविद्यालय में छात्र—छात्राओं के प्लेसमेंट हेतु उपयुक्त कार्यवाही करना।
8. **छात्रों हेतु कल्याण समिति**— छात्र एवं छात्राओं के कल्याण हेतु आवश्यक कार्य करना।
9. **समारोह समितिः**— महाविद्यालय में होने वाले विविध समारोहों को सम्पन्न कराना।
10. रोजगार निर्देशन एवं मंत्रणा समितिः— समय—समय पर विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख दिशा निर्देश / सलाह देना तथा विज्ञापन प्रसारित कराना।
11. **छात्रवृत्ति एवं छात्र कल्याण समितिः**— उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार से महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के लिये विविध छात्रवृत्ति प्राप्त कराना तथा छात्रों के कल्याणार्थ शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता बुक बैंक एवं रेलवे रियायती सुविधा उपलब्ध कराना।

इन समितियों के अतिरिक्त अन्य विविध कार्य महाविद्यालय में सम्पन्न कराये जाते हैं

1. **सूचना प्रसारणः**— महाविद्यालय में प्रवेश से लेकर पठन—पाठन, खेलकूद, विविध प्रतियोगिताओं, समारोह एवं समस्त परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार सूचना तथा अवकाश से सम्बंधित समस्त सूचनायें समयानुसार सूचना पट्ट पर लगाई जाती हैं। जिससे प्रत्येक विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके।
2. **परिचय—पत्रः**— प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय का प्रमाणित परिचय—पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा जिसे वह प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर शास्ता मण्डल कार्यालय से प्राप्त करेगा। परिचय—पत्र खो जाने की स्थिति में रू0 50 / — के नोटरी शपथ—पत्र दिये जाने पर ही निर्धारित शुल्क देकर परिचय—पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकेगी।
3. **क्रीड़ा एवं खेलकूदः**—महाविद्यालय में क्रीड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताओं की उचित व्यवस्था एवं क्रीडांगन है और प्रवक्ता— शारीरिक शिक्षा का पद भी सृजित है। क्रीड़ा में एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताओं तथा समस्त आउटडोर / इंडोर गेम सम्पन्न कराये जाते हैं। जिससे महाविद्यालय के छात्र / छात्रायें विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष अपना स्थान बनाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी करते हैं।
4. **पुस्तकालय / वाचनालयः**— महाविद्यालय का अपना समृद्ध पुस्तकालय एवं वाचनालय है जिसमें विविध कक्षाओं के विद्यार्थी एवं शोधार्थी लाभ उठाते हैं। वर्तमान समय में पुस्तकालय में कुल 21500 से अधिक पुस्तकें हैं तथा वाचनालय में छात्रोपयोगी समस्त पत्र—पत्रिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं। महाविद्यालय में **ई—लाईब्रेरी** की सुविधा भी उपलब्ध है। विभागीय स्तर पर भी छात्र—छात्राओं हेतु पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है।

पुस्तकालय/वाचनालय के निम्न नियम अनिवार्य रूप से पालन करने होंगे

(1) प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय से उपलब्धता के अनुसार अधिकतम 02 पुस्तकें एक समय से केवल 15 दिन के लिए निर्गत की जायेंगी उन्हें निर्धारित तिथि पर जमा न करने पर प्रतिदिन प्रति पुस्तक रू0 01/–अर्थदण्ड देना होगा।

(2) पुस्तकें कक्षावार निर्धारित दिनों में निर्गत की जायेंगी।

(3) पुस्तकों के फटने या खराब करने का दायित्व छात्र–छात्राओं पर होगा जिससे राजकोष के प्राविधान के अनुसार अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कराते हुये पुस्तकें अनिवार्य रूप से जमा करा दी जायेगी। यदि कोई विद्यार्थी विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के लिये पुस्तक रखना चाहता है तो उसे संदर्भ ग्रन्थ और दुर्लभ ग्रन्थ छोड़कर उस पुस्तक की पांच गुनी कीमत पुस्तकालय में जमा करनी होगी।

(5) पुस्तकालय से पुस्तकें दूसरे के नाम/कार्ड पर दूसरे छात्र–छात्राओं को नहीं दी जायेंगी।

(6) यदि किसी छात्र–छात्राओं के नाम पर पुस्तकें अंकित रहती हैं और वह महाविद्यालय छोड़ चुका है तो उसके प्रति प्राथमिकी दर्ज कर दण्ड वसूल करते हुए धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी जो जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल करायी जायेगी।

5. **वाचनालय के सम्बन्ध में सूचनाः**– महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए हिन्दी/अंग्रेजी के समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं सम्बन्धी पत्रिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं जिसके निम्न नियम हैंः–

(1) वाचनालय में पूर्ण शान्ति रखनी होगी।

(2) समाचार–पत्र अथवा पत्रिकायें पुस्तकलायाध्यक्ष के पास अपना परिचय–पत्र जमा करने पर महाविद्यालय में पढ़ने के लिये प्राप्त किया जायेगा।

(3) विद्यार्थी किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका अथवा पुस्तक के पन्ने नहीं फाड़ेगा।

6. **महाविद्यालय पत्रिकाः**– महाविद्यालय में प्रतिवर्ष **''आशा''** वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की विविध गतिविधियों, छात्र–छात्राओं के लेख, हास्य व्यंग्य, कवितायें, शोध

एवं विकास के विविध स्वरूपों के साथ छात्र–छात्राओं की रचनात्मक गतिविधियों, महाविद्यालय के विविध कक्षाओं में परीक्षा परिणाम, मेधावी विद्यार्थियों का विविध रूप चित्रित एवं वर्णित किया जाता है।

7. **अनुशासनः**–

(1) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना तथा परिसर को साफ–सुथरा रखना प्रत्येक छात्र–छात्रा का दायित्व होता है। यदि किसी छात्र–छात्रा द्वारा इसके विरूद्ध कार्य किया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रत्येक विद्यार्थी अपनी समस्या को विभिन्न समितियों के माध्यम से दर्ज करा सकता है। छात्र एवं छात्रायें अपनी समस्या / शिकायत महाविद्यालय में लगी पिंक पेटिका / सामान्य पेटिका में पत्र डालकर भी सूचित कर सकते हैं।

(3) छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र–छात्रा के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय / शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) समस्त छात्र–छात्राओं की कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है।

राष्ट्रीय कैडेट कोरः–

महाविद्यालय में सीनियर डिवीजन आर्मी विंग की एक इकाई कार्यरत है, जिसे 63 यू0पी0 एन0सी0सी0 बटालियन लखनऊ से 55 कैडेट्स (छात्र / छात्राओं) के प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को रक्षा सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में नियुक्ति के समय वरीयता के साथ समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना हेतु प्रेरित किया जाता है।

8. **राष्ट्रीय सेवा योजनाः**– महाविद्यालय में छात्र / छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी है। जिसमें कुल 100 छात्रों को नामांकित किया जाता है और प्रति वर्ष सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 छात्र / छात्राओं तथा विशेष शिविर के लिये 50 छात्र / छात्राओं को चयनित किया जाता है। जिसका प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर उन्हें वितरित किया जाता है जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

9. **रोवर्स / रेंजर्सः**– भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार रोवर्स एवं रेंजर्स की ईकाई सत्र 1991–92 से कार्यरत हैं। जिसमें प्रतिभागियों को उनकी निपुणता के अनुसार विविध प्रकार के प्रमाण–पत्र दिये जाते हैं। इस इकाई द्वारा छात्र / छात्राओं के समग्र विकास के लिये

दैनिक जीवनोपयोगी नियमों के ज्ञान के साथ समाज में अहिंसा, भाई—चारा एवं देश—प्रेम की भावना पूरित किये जाने के लिए सिखाया जाता है।

10. **यूनिफार्म**ः— महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र—छात्राओं के लिये महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनीफार्म धारण करके ही आना अनिवार्य है, जिसमें छात्राओं के लिए सफेद सलवार एवं काला चेकदार कुर्ता एवं सफेद दुपट्टा (शीत काल में काला स्वेटर), छात्रों के काली पैन्ट, सफेद कमीज़ एवं काला जूता—मोजा पहनकर आना अनिवार्य होगा (शीत काल में काला स्वेटर), इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं की जायेगी अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। बी0एड0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्राध्यापिकाओं को शिक्षण कार्य के समय बैंगनी रंग की साड़ी में शिक्षण कार्य करना होगा।

महाविद्यालय परिवार

1. **प्रो0 निखिलेश शरण – प्राचार्य**

वाणिज्य संकाय

2.	डॉ0 रवि अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी
3.	सुश्री अर्पिता मौर्या	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	श्री कृष्ण कुमार कनौजिया	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	डॉ0 गुरविन्दर कौर	असिस्टेंट प्रोफेसर
6.	..........पद रिक्त............	असिस्टेंट प्रोफेसर
7.	..........पद रिक्त............	असिस्टेंट प्रोफेसर
8.	..........पद रिक्त............	असिस्टेंट प्रोफेसर
9.	..........पद रिक्त............	असिस्टेंट प्रोफेसर

विज्ञान संकाय

भौतिक विज्ञान विभाग

1.	डॉ0 सत्येन्द्र सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी
2.	डॉ0 गुलशन कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

रसायन विज्ञान विभाग

1.	श्रीमती मंजू यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी
2.	डॉ0 सुधीर कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	डॉ0 विद्या सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	डॉ0 शिवम मौर्य	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	डॉ0 कुलदीप कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

जन्तु / प्राणि विज्ञान विभाग

1.	प्रो0 निखिलेश शरण	असिस्टेंट प्रोफेसर
2.	डॉ0 दिलप्रीत कौर	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी

वनस्पति विज्ञान विभाग

1.	डॉ0 अमलेश यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी
2.	डॉ0 सुमन यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर

गणित विभाग

1.	डॉ0 बृजमोहन यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी

शारीरिक शिक्षा विभाग

1.	डॉ0 जय भगवान सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी

शिक्षा संकाय (बी0एड0)

1.	डॉ0 प्रवेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर / प्रभारी
2.	डॉ0 अभिषेक सेंगर	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	श्री बलराम सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	डॉ0 तारकेश्वर गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	डॉ0 सुधीर कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
6.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप	असिस्टेंट प्रोफेसर
7.	डॉ0 अजित आनन्दमणि	असिस्टेंट प्रोफेसर
8.	डॉ0 सुधीर कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
9.	डॉ0 नितिन बाजपेयी	असिस्टेंट प्रोफेसर
10.	डॉ0 कमलेश यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर
11.	डॉ0 प्रवीन कुमार वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
12.	डॉ0 शैलजा शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
13.	डॉ0 सुनील कुमार पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर
14.	डॉ0 सुधांशु कुमार पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर
15.	श्रीमती नमिता त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर
16.	श्री राज किशोर पाण्डेय (सम्बद्ध)	असिस्टेंट प्रोफेसर

पुस्तकालय

1.	..........रिक्त.............	प्रवक्ता लाइब्रेरी / पुस्तकालयाध्यक्ष

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1.	श्री संजीव कुमार	कार्यालय अधीक्षक
2.	.......रिक्त..........	आशुलिपिक
3.	.......रिक्त..........	कनिष्ठ सहायक
4.	......रिक्त.......	कनिष्ठ सहायक
5.	.......रिक्त.........	प्रयोगशाला सहायक (प्राणि विज्ञान)
6.	.......रिक्त.......	प्रयोगशाला सहायक (भौतिकी)
7.	.......रिक्त.......	प्रयोगशाला सहायक(वनस्पति विज्ञान)
8.	श्री कमलेश कुमार वर्मा	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)
9.	......रिक्त............	बुक लिफ्टर
10.	.......रिक्त.....	दफ्तरी
11.	श्री अंकुर श्रीवास्तव	प्रयोगशाला परिचर

12.	.......रिक्त......	प्रयोगशाला परिचर
13.	.......रिक्त......	प्रयोगशाला परिचर
14.	.......रिक्त......	प्रयोगशाला परिचर
15.	.......रिक्त......	परिचर
16.	.......रिक्त......	परिचर
17.	.......रिक्त......	परिचर
18.	.......रिक्त......	परिचर
19.	.......रिक्त......	परिचर
20.	श्री रमेश	गैसमैन
21.	श्री राजेश कुमार	परिचर
22.	श्री राहुल	माली
23.	श्री महेश	स्वीपर कम चौकीदार
24.	श्री राजू	स्वीपर कम एनीमल कैचर